न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या – 83/2021

जीसीएमएस सं. – 2021/447

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. ओमकंवर पत्नी स्वं. कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी चौढ़ा तहसील पीपाड़ शहर		1. गोपालसिंह पुत्र खुमानसिंह 2. मनोहरसिंह पुत्र खुमानसिंह 3. लक्ष्मणकंवर पुत्री खुमानसिंह 4. हंसकंवर पुत्री खुमानसिंह 5. करणीसिंह पुत्र कल्याणसिंह 6. अजीतसिंह पुत्र कल्याणसिंह 7. नारायणसिंह पुत्र कल्याणसिंह 8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दर्ज तारीख 09/07/2021

उपस्थित अधिवक्ता

श्री अब्दुल सलीम खान अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 08/10/2025

वादी की ओर से एक राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादीया की संयुक्त सहखातेदारी कृषि भूमि ग्राम पाबुनगर पटवार हल्का चौढ़ा भू.अभि.नि बुचकला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर में खाता संख्या नया 17 पुराना 12 के अनुसार खसरा संख्या 104 रकबा 20.4192 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय राजस्व रेकर्ड के दर्ज अनुसार स्थित है जिसकी जमाबंदी व गिरदावरी व नक्शा कम्प्यूटराईज सलग्न पेश हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के आलावा अन्य सहखातेदारान के साथ वादीया उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में स्वयं वादीया एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी में से दिनाक 06.03.2014 को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के माता व दादी श्रीमती आनन्दकंवर पत्नि श्री खुमानसिंह ने वादीया के हक में उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचान रजिस्ट्री निष्पादित कर वादीया के हक में 10 बीघा भूमि बैचान कर दिया जिसकी बैचान रजिस्ट्री दिनाक 06.03.2014 को उप पंजीयक पीपाड़ शहर द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4 पृष्ठ संख्या 27 कम संख्या 2014000628 पर पंजीबद्ध किया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 14 पृष्ठ संख्या 133 से 137 पर चस्पा किया गया । उक्त भूमि पर वादीया का इससे पूर्व ही मोखिक रूप से वादीया के हक में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

रखी गई होने के कारण काबिज होकर काश्त करती आ रही थी इसी कारण उप पंजीयक कार्यालय पीपाड़ शहर में होने के कारण कानून अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु उक्त रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की माता व दादी ने वादीया के हक में निष्पादित करवा कर रजिस्टर्ड करवा दी । इस प्रकार उक्त रजिस्ट्री रजिस्टर्ड की तारीख से भी वादीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर निरन्तर निर्वाद रूप से काश्त करता आ रही हैं। वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या एक से सात द्वारा अपना हक हिस्सा वादीया के हक में दिनांक 06.03.2014 को बैचान रजिस्ट्री करने के पश्चात वादी द्वारा रजिस्टर्ड बैचान रजिस्ट्री की फोटोप्रति हल्का पटवारी को नामांतरण दर्ज करने हेतु रजिस्टर्ड होने के कुछ दिन पश्चात ही देकर नामांतरण वादीया का नाम भरे जाने हेतु दे दी थी तब हल्का पटवारी ने वादीया के हक में दर्ज करने का आश्वासन देकर विश्वास दिलाया की वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 07 माता व दादी के स्थान पर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा देगा जिस पर वादीया ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर लिया लेकिन हल्का पटवारी वादीया के विश्वास पर खरा नहीं उतरा, उसने वादीया के हक में उक्त वादग्रस्त आराजी बैचान रजिस्ट्री के आधार पर वादीया के नाम नामांतरण नहीं भरा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 07 द्वारा अपने नाम से फौतेदगी नामांतरण भरवा दिया। जिसकी जानकारी वादीया को दिनांक 01.07.2021 को वादग्रस्त आराजी में कृषि कार्य व देख रेख के दोरान प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 द्वारा वादीया को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। दिनांक 06.03.2014 के बैचान रजिस्ट्री के आधार पर वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के माता व दादी नाम नहीं हटाया गया है इसलिए प्रतिवादी सख्या 01 से 07 इसका दुरूपयोग करते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी में से अपना हक हिस्सा जो आज भी दर्ज है के आधार पर अज्ञात व्यक्ति को बेचान रजिस्ट्री करवा देंगे जिस पर वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 07 को ऐसा नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 से 07 ने वादीया को वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने से भी रोकने की धमकियां देनी शुरू कर दी, जिस पर वादीया हल्का पटवारी से सम्पर्क कर वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी व गिरदावरी दिनांक 18.06.2021 को प्राप्त की तो राजस्व रेकर्ड में वादीया के हक में लिखे गये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 06.03.2014 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का नाम निकाल कर वादीया के हक नामांतरण भरा हुआ नहीं हैं जिस पर वादीया ने बैचान रजिस्ट्री की मूल प्रति दिखाते हुए पटवारी व तहसीलदार पीपाड़ शहर को वादग्रस्त आराजी में से बैचान रजिस्ट्री के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का नाम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अ
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हटाकर उनके स्थान पर उनके हक हिस्से की भूमि वादीया के हक में नामातरण के जरिये दर्ज करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार पीपाड शहर ने प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के माता व दादी का फौतेदगी नामातरण भरवा चुके थे इसलिए समय अधिक गुजर जाने के कारण न्यायालय आदेश के बगैर नामांतरण दर्ज करने में असमर्थता जताई जिस पर वादीया को न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के आलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण यह वाद वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण दिनांक 01.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 से 07 द्वारा वादीया को दी गई धमकियां एवं हल्का पटवारी व तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा वादीया के हक में नामांतरण दर्ज करने हेतु न्यायालय के आदेश के असमर्थता जताने से उत्पन्न हुआ। वाद पत्र दिनांक 01.07.2021 को धमकियां मिलने से रेकर्ड की जानकारी वादीया को होने से वाद पत्र अन्दर म्याद है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के स्थान पर उनका हक हिस्सा वादीया के हक में बैचान रजिस्ट्री दिनांक 06.03.2014 के आधार पर दर्ज कर वादीया को उक्त वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि का अन्य सहखातेदारान के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम उपरोक्त खाता संख्या नया 17 में से हटाये जाने के आदेश की डिकी वादीया के हक में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के विरूद्ध फरमाई जावे। वादीया के हक में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के विरूद्ध डिकी इस आशय की भी फरमाई जावे की वादीया की उपरोक्त वादग्रस्त स्वयं की खरीदसुदा, पुश्तैनी भूमि के उपयोग उपभोग में प्रवितादी संख्या 01 से 07 किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 7 की ओर से बाद समन तामिल कोई हाजिर अदालत नही आये, जिस पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से एवं जवाबदावा रेकर्ड पर नही होने से उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम नही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीगण हेतु मुकर्रर की गयी ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादी की ओर से वादी स्वयं ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये ।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श EXP 1 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम पाबुनगर ख स 104, EXP 2 ख स 104 नामान्तरकरण की प्रति, EXP 3 ख स 104 सम्वत 2077 खसरा गिरदावरी, EXP 4 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम पाबुनगर ख स 104 खसरा नक्शा एवं जमाबंदी , EXP 5 विकय विलेख दिनांक 06/03/2014, EXP 6 ख स 106 फौतेदगी नामान्तरकरण की प्रति अपने समर्थन में प्रदर्श करवाये।

बहस अधिवक्ता सुनी गयी, वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित करने का निवेदन किया एवं साक्ष्य शपथ पत्र एवं विकय विलेख दिनांक 06/03/2014 के बारे में ध्यान आकर्षित कराया व दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया ।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श EXP 1 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम पाबुनगर ख स 104, EXP 2 ख स 104 नामान्तरकरण की प्रति, EXP 3 ख स 104 सम्वत 2077 खसरा गिरदावरी, EXP 4 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम पाबुनगर ख स 104 खसरा नक्शा एवं जमाबंदी , EXP 5 विकय विलेख दिनांक 06/03/2014, EXP 6 ख स 106 फौतेदगी नामान्तरकरण का ध्यानवपूर्वक अवलोकन किया । साक्ष्य एवं विकय विलेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आनन्द कंवर पत्नी खुमानसिंह जाति राजपूत निवासी चौढ़ा ने ग्राम पाबुनगर के ख स 104 रकबा 126 बीघा 04 बिस्वा में निहित अपने 1/4 हिस्से में से 10 बीघा भूमि ओमकंवर पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी चौढ़ा को विकय की गई। मेरे विन्रम मतानुसार वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 से 07 को कोई उज्र एतराज होता तो समन तामिल होने पर आवश्य ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय में उपस्थित होते। वाद पत्र में वर्णित अखण्डित वाद कथनो व वादी द्वारा प्रस्तुत अखण्डित साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नही हैं एवं वादी की अखण्डित साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य हैं। मेरे विन्रम मतानुसार ग्राम पाबुनगर के ख स 104 में विकय विलेख 06/03/2024 का नामान्तरकरण नहीं भरा जाकर सीधे की फौतेदगी नामान्तरकरण भर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि के वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हैं।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री करते हुए वादी को ग्राम पाबुनगर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 20.4192 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में 1.618 हैक्टेयर यानी 10 बिघा भूमि का सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

ओमकंवर बनाम गोपालसिंह वगैराह

दावा बाबत् 88, 188 आर.टी. एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 83/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील अब्दुल सलीम खान मिनजानिव मुदई वकील – मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वाद डिकी करते हुए वादी को ग्राम पाबुनगर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 20.4192 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में 1.618 हैक्टेयर यानी 10 बिघा भूमि का सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

लीज..................शून्य.............मुवलिक.................शून्य..............बाबत................शून्य...............
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....................शून्य................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.................शून्य................को आदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/10/2025 ....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
ओहदा पीपाड़ सहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान...........		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री करते हुए वादी को ग्राम पाबुनगर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 20.4192 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में 1.618 हैक्टेयर यानी 10 बिघा भूमि का सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक .... को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हटाकर उनके स्थान पर उनके हक हिस्से की भूमि वादीया के हक में नामातरण के जरिये दर्ज करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार पीपाड शहर ने प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के व दादी का फौतेदगी नामातरण भरवा चुके थे इसलिए समय अधिक गुजर जाने के कारण न्यायालय आदेश के बगैर नामांतरण दर्ज करने में असमर्थता जताई जिस पर वादीया को न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के आलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण यह वाद वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण दिनांक 01.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 से 07 द्वारा वादीया को दी गई धमकियां एवं हल्का पटवारी व तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा वादीया के हक में नामांतरण दर्ज करने हेतु न्यायालय के आदेश के असमर्थता जताने से उत्पन्न हुआ। वाद पत्र दिनांक 01.07.2021 को धमकियां मिलने से रेकर्ड की जानकारी वादीया को होने से वाद पत्र अन्दर म्याद है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के स्थान पर उनका हक हिस्सा वादीया के हक में बैचान रजिस्ट्री दिनांक 06.03.2014 के आधार पर दर्ज कर वादीया को उक्त वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि का अन्य सहखातेदारान के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम उपरोक्त खाता संख्या नया 17 में से हटाये जाने के आदेश की डिक्री वादीया के हक में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के विरूद्ध फरमाई जावे। वादीया के हक में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के विरूद्ध डिक्री इस आशय की भी फरमाई जावे की वादीया की उपरोक्त वादग्रस्त स्वयं की खरीदसुदा, पुश्तैनी भूमि के उपयोग उपभोग में प्रवितादी संख्या 01 से 07 किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 7 की ओर से बाद समन तामिल कोई हाजिर अदालत नही आये, जिस पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से एवं जवाबदावा रेकर्ड पर नही होने से उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम नही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीगण हेतु मुकर्रर की गयी ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)